"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2008—श्रावण 31, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री बी. एल. तिवारी, भा. प्र. से. (1996) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग एवं संचालक, जनसम्पर्क को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बी. पी. एस. नेताम, भा. प्र. से. (1996) संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2008

क्रमांक/एफ-4/(ए)/03/02/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला कोषालय महासमुंद के अंतर्गत बागबाहरा तहसील में उप कोषालय दिनांक 01-09-2008 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

No./F-4 (a)/03/02/ESTT./IV.—The State Government of Chhattisgarh is hereby pleased to open Sub-Treasury in Bagabahara tehsil under District Treasury Mahasamund w.e.f. 01-09-2008.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2008

संशोधन

क्रमांक 6337/एफ 2-6/2008/19/स्था-1.—छत्तीसगढ़ अभियांत्रिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1969 के नियम 15 (4) के अनुसार "सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिये सहायक अभियंता के पद पर अर्हता अवधि 06 वर्ष का प्रावधान है."

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा "सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक अभियंता की न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता की शर्त को शिथिल करते हुये यह सेवा अवधि 05 वर्ष करता है."

3. यह शिथिलिकरण एक बार के लिये वर्ष 2008 में होने वाली डी. पी. सी. हेतु प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 8-3/2008/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमि. मंदिर हसौद, रायपुर के बायलर क्र.-सी. जी./149 को दिनांक 02-08-2008 से 01-09-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाए अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बॉयलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम. पी./3210	दिनांक 12-07-2008 से 09-10-2008 तक
2.	एम. पी./3224	दिनांक 24-06-2008 से 22-09-2008 तक
3.	एम. पी./3530	दिनांक 12-07-2008 से 10-10-2008 तक
4.	एम. पी./3555	दिनांक 20-10-2008 से 10-11-2008 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2008

क्रमांक/एफ-16-85/25-2/2008/आजावि.—राज्य के दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के परियोजना परिक्षेत्र एवं जिला दंतेवाड़ा तथा जिला बीजापुर के समग्र विकास तथा स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नानुसार नियम बनाते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (एक) इस नियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र विकास निधि नियम, 2008 है.

(दो) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

(तीन) इसका विस्तार बस्तर संभाग के जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर तथा नारायणपुर में होगा.

परिभाषाएं.

2\. इस नियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) हाई पवार कमेटी से अभिप्रेत है, नियम 7 के अंतर्गत गठित हाई पावर कमेटी.

(ख) परिक्षेत्र विकास निधि क्रियान्वयन समिति से अभिप्रेत है नियम 8 के अंतर्गत गठित परिक्षेत्र विकास निधि क्रियान्वयन समिति.

(ग) निगम से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम.

(घ) परिक्षेत्र विकास निधि से अभिप्रेत है नियम 3 (1) के अंतर्गत गठित परिक्षेत्र विकास निधि.

(ङ) आयुक्त से अभिप्रेत है, संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग.

(च) कलेक्टर से अभिप्रेत है जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर तथा नारायणपुर के कलेक्टर.

(छ) नोडल अधिकारी, परिक्षेत्र विकास निधि से अभिप्रेत है कलेक्टर द्वारा परिक्षेत्र विकास निधि के समुचित उपयोग हेतु नियुक्त किया गया अधिकारी.

(ज) परिक्षेत्र से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की परियोजना से प्रभावित क्षेत्र.

परिक्षेत्र विकास निधि.

3\. (1) राज्य सरकार विनियोजन द्वारा निगम तथा किसी अन्य स्रोत से अभिदान द्वारा एक निधि गठित करेगी, जिसे परिक्षेत्र विकास निधि कहा जाएगा.

(2) प्रत्येक वर्ष पिछले वित्त वर्ष के दौरान निगम को प्राप्त लाभांश के 5% की समतुल्य राशि निधि हेतु चिन्हित तथा अभिदाय की जाएगी.

निधि का आवंटन.

4\. इस प्रकार निर्मित निधि कलेक्टर को सौंप दी जाएगी.

निधि का संचालन.

5\. (1) निधि का प्रशासन संभागीय आयुक्त द्वारा होगा एवं इसका संचालन कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी, परिक्षेत्र विकास निधि के नाम से संधारित संयुक्त बैंक खाते से किया जावेगा.

(2) समय-समय पर निधि में से उधार, आहरित तथा व्यय की गई राशि का लेखा नोडल अधिकारी परिक्षेत्र विकास निधि द्वारा विहित रीति से रखा जाएगा तथा वार्षिक वित्तीय विवरण में उपयुक्त शीर्षों में प्रदर्शित किया जाएगा.

(3) कलेक्टर द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण आयुक्त के माध्यम से हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

निधि का उपयोग एवं उपयोग की नीति एवं सिद्धांत.

6. (1) निधि से योजनाओं तथा कार्यों के स्वीकृति हाई पावर कमेटी के अनुमोदन की जावेगी परंतु यह कि, इस निधि का उपयोग उन कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु एवं परिक्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र में नहीं किया जा सकेगा.

(2) निधि का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जाएगा :—

(क) निधि से केवल ऐसी योजनाएं ही स्वीकृत की जा सकेंगी, जिनमें अनावर्ती व्यय निहित हो, आवर्ती व्यय नहीं किया जा सकेगा.

(ख) निधि से केवल ऐसी योजनाएं ही स्वीकृत की जा सकेंगी जो अधिकतम 36 माह में पूर्ण हो जावें.

(ग) निधि का उपयोग आदिवासियों की संस्कृति के परिरक्षण के साथ आस्थामूलक एवं सामुदायिक उपयोग आदि के निर्माण कार्यों में किया जावेगा.

हाई पावर कमेटी.

7. (1) निधि से योजनाओं तथा कार्यों के स्वीकृति हेतु निम्नानुसार हाई पावर कमेटी गठित की जावेगी :

(क)	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	पदेन अध्यक्ष
(ख)	शासन के प्रमुख सचिव या सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	पदेन सदस्य
(ग)	शासन के प्रमुख सचिव या सचिव, लोक निर्माण विभाग.	पदेन सदस्य
(घ)	शासन के प्रमुख सचिव या सचिव, खनिज विभाग.	पदेन सदस्य
(ङ)	सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.	पदेन सदस्य
(च)	शासन के प्रमुख सचिव या सचिव, आ. जाति तथा अनु. जाति विकास.	पदेन सदस्य
(छ)	आयुक्त या संचालक, आ. जाति तथा अनु. जाति विकास.	पदेन सदस्य
(ज)	चेयरमैन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधि.	पदेन सदस्य
(झ)	कलेक्टर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर	पदेन सदस्य
(ञ)	संभागीय आयुक्त, बस्तर संभाग	पदेन सदस्य सचिव

(2) हाई पावर कमेटी की बैठक तीन माह के अंतराल में आयोजित की जावेगी.

क्रियान्वयन समिति.

8. (1) कार्य योजना तैयार करने, हाई पावर कमेटी के अनुमोदन एवं स्वीकृति के उपरांत कार्य योजना का क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश/आदि जारी करने, कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने तथा परिक्षेत्र विकास एवं परिक्षेत्र के निवासियों के हितसंवर्धन को सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार परिक्षेत्र विकास निधि क्रियान्वयन समिति गठित की जावेगी :

(क)	आयुक्त, बस्तर संभाग	पदेन अध्यक्ष
(ख)	कलेक्टर	पदेन सदस्य
(ग)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य
(घ)	संबंधित जिला अधिकारी	पदेन सदस्य
(ङ)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	पदेन सदस्य
(च)	परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना.	पदेन सदस्य
(छ)	संबंधित/जिला क्षेत्र के मान. सांसद, मान. विधायक एवं मान. जिला पंचायत अध्यक्ष.	पदेन सदस्य
(ज)	राज्य शासन द्वारा नामांकित संबंधित जिला/क्षेत्र के 2 सामाजिक कार्यकर्ता.	सदस्य
(झ)	समस्त प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) किरन्दुल एवं बचेली.	पदेन सदस्य
(ञ)	नोडल अधिकारी परिक्षेत्र विकास निधि, दंतेवाड़ा	सदस्य सचिव

(2) नियम 8 के खण्ड (च) के अन्तर्गत नामांकित सदस्य नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा यदि उसका कार्यकाल शासन द्वारा अधिसूचना द्वारा समाप्त न किया गया हो.

नोडल अधिकारी, परिक्षेत्र विकास निधि.

9. नोडल अधिकारी परिक्षेत्र विकास निधि के पद पर कलेक्टर के द्वारा डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी.

कार्य योजना तैयार करने, स्वीकृति एवं आवंटन जारी करने के प्रक्रिया.

10. क्रियान्वयन समिति द्वारा कार्य योजना तैयार करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जावेगा :

(क) परिक्षेत्र के स्थानीय महत्व की कोई भी आवश्यक योजना संबंधित विभाग के ज़िला अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी परिक्षेत्र विकास निधि को प्रस्तुत की जावेगी तथा नोडल अधिकारी द्वारा क्रियान्वयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

(ख) प्रस्तावित योजना के लिए वर्क मैनुअल के अनुसार यदि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तो संबंधित विभाग द्वारा विहित प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा.

(ग) कार्य योजना की प्रशासकीय स्वीकृत एवं आवंटन हाई पावर कमेटी के अनुमोदन अनुसार कलेक्टर के द्वारा जारी किया जावेगा.

(घ) संबंधित योजना की स्वीकृति जारी करने के बाद अभिलेख संधारण का कार्य नोडल अधिकारी परिक्षेत्र विकास निधि द्वारा किया जावेगा.

(ङ) निधि से संबंधित कार्यों के लिए लिपिकीय कार्य हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था कलेक्टर के द्वारा जिला स्तरीय अमले से की जा सकेगी.

11. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से प्राप्त निधि में जमा अथवा आहरित तथा व्यय का लेखा-जोखा संबंधित जिले के कलेक्टर के द्वारा रखा जावेगा. हाई पावर समिति द्वारा समय-समय पर संधारित लेखा का परीक्षण एवं निरीक्षण किया अथवा कराया जाएगा. **लेखा संधारण.**

12. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से प्राप्त निधि का अंकेक्षण संविधि लेखा परीक्षण तथा लोकल फण्ड आडिट से कराया जाएगा. इसके साथ इस निधि से निर्मित कार्यों का पर्यवेक्षण निधि क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया अथवा कराया जाएगा. **अंकेक्षण.**

13. यदि इस नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो नियम के प्रावधानों में सम्मिलित न हो परंतु कठिनाईयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत होती है. **कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.**

14. परिक्षेत्र विकास निधि के उपयोग के संबंध में अंतिम निर्णय लेने, नियम में परिवर्तन एवं व्याख्या करने का अधिकार हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष को होगा परंतु नियमों में किसी तरह के परिवर्तन के लिए राज्य शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

15. निधि से निर्मित समस्त अस्तियों के उपयोग एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा. **निधि से तैयार अस्तियों का संधारण.**

16. इस अधिनियम के अधीन सद्भावना या इस आशय से की गई किसी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजना अथवा वैधानिक कार्यवाही नहीं होगी. **सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./18/अ-82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा एकड़ में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मठपुरैना प. ह. नं. 105	27/2, 28/1	4.37	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड, रायपुर.	जल शुद्धिकरण संयंत्र हेतु भू-अर्जन.
		योग	2	4.37		

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 9/अ. 82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	झांकी प. ह. नं. 139/18	582	0.13	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास हेतु.
			584	0.05		
			591	0.24		
			592	0.51		
		योग	4	0.93		

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 10/अ. 82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	भेलवाडीह प. ह. नं. 139/18	11	0.89	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास हेतु.
			12	3.43		
			30	1.00		
			31	1.52		
			32	1.51		
			41	0.06		
			62	0.02		
			63	0.14		
			64	0.20		
			65	0.95		
			66	0.18		
		योग	11	9.90		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	पूंजीपथरा प. ह. नं. 34	8.161	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	मेसर्स रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज लि. यूनिट-2 के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	सराईपाली प. ह. नं. 35	1.016	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बरपाली प. ह. नं. 35	4.764	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक 12/क/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	अमलडीहा प. ह. नं. 7	0.360	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	फरसवानी उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक 13/क/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	बुढ़ियापाली प. ह. नं. 79	0.874	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 2, चाम्पा.	लिमगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 जुलाई 2008

प्र. क्र. 31/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मोतिमपुर प. ह. नं. 49	92 मकान एवं 06 कुंआ	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानाला बैराज परियो. अन्तर्गत निर्माण में पूर्ण डूबान क्षेत्र में स्थित परि-संपत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 30 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रेकरण क्रमांक 16/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-71.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1 ख	0.073
2/2	0.004
8/1	0.162
9/2	0.166

(1)	(2)	(1)	(2)
148/13	0.108	148/28	0.101
148/34	0.073	2/1 व	0.304
178/3	0.809	2/4	0.020
9/4	0.121	101	0.210
7/1 ग, 7/1, 23/1	0.162	2/1 ड, 98/2	0.069
2/1 घ	0.024	105/2	0.020
23/1 क	0.136	138/2	0.154
196/2	0.032	178/4	0.324
152	0.162	2/1 ट	0.081
2/1 ग 2, 7/2, 23/2	0.162	2/1 भ	0.081
60	0.121	2/1 म	0.162
61/5 ख	0.473	67	0.567
2/1 ग 4, 7/4, 23/1 घ	0.186	88	0.129
2/1 ह	0.024	91/2	0.101
23/1 घ	0.162	99/2	0.020
89	0.105	100/2	0.020
196/8	0.012	103/2	0.251
25/1	0.182	2/1 ठ	1.011
61/2 घ	0.146	2/1 क	0.101
63/1	0.405	148/19	0.202
61/5 ग	0.473	2/1 ढ़	0.113
68/1	0.243	61/1 घ	0.809
70	0.053	148/20	0.162
71	0.121	179	0.053
85	0.142	2/1 ण	0.101
219/5	0.105	2/1 ट	0.024
2/1 घ	0.251	7	0.073
148/3	0.040	23/1 ख	0.619
2/1 ड	0.182	61/5 क	0.470
2/1 च	0.364	196/3	0.008
2/1 छ	0.016	196/5	0.012
10	0.065	196/6	0.012
11/1	0.129	219/2	0.162
16	0.194	2/1 न	0.138
17	0.032	2/1 प	0.134
18/2, 18/3	0.032	2/3, 98/2	0.069
19/1	0.081	94/1	0.235
20/1	0.364	94/2	0.231
61/4	0.061	95/1	0.008
2/1 ज	0.182	95/2	0.012
2/1 झ	0.121	97/1	0.012
141/1 अ, 142/1 अ, 143/1 अ, 144/1 अ	0.389	97/2	0.012
		2/1 फ	0.134
		2/1 य	2.023
148/23	0.383	2/1 र	0.809
148/24	0.040	2/1 ल	0.486
2/1 ग	1.315	2/1 ह	0.344

(1)	(2)	(1)	(2)
2/1 छ	0.506	221	0.348
173	0.040	21/2	0.202
2/1 ष	0.607	24/1	0.020
2/1 श	1.173	15/2	0.012
93/1	0.963	22	0.129
2/1 स	1.473	23/2	0.963
2/6, 98/3	0.069	27/2	0.028
94/3	0.231	28/1	0.202
95/3	0.012	31/1	0.539
97/3	0.016	40/2	0.032
2/7	0.648	41/1	0.528
148/36	0.040	136	0.210
2/8	0.186	155/1 ख	0.405
145/1	0.154	195	0.065
2/9	0.073	196/1	0.065
2/10	0.202	219/1	0.194
2/11	0.202	219/3	0.154
2/13	0.182	26/1	0.006
2/12	0.170	25/1	0.101
2/14	0.202	25/2, 26/3	0.188
8/2	0.016	35/1	0.081
9/1	0.283	84/2	0.607
9/3	0.121	27/1	0.012
219/6	0.550	62	0.210
220	0.271	91/1	0.777
223	0.131	93/2	0.049
11/2	0.134	132	0.158
12/2	1.011	148/2	0.526
13	1.011	148/9	0.405
14	0.057	148/10	0.567
92	0.142	148/11	0.061
133	0.073	149	0.170
147/1	0.081	150	0.299
148/5	0.081	153	0.142
15/1 ख	0.142	155/1 ड़	0.146
15/1 ग	0.628	155/1 झ	0.607
15/1 घ	0.202	157/2	0.032
15/1 ङ	0.101	158	0.741
15/1 च	0.405	39	0.113
15/1 ज	0.405	40/1	0.170
15/1 झ	0.304	40/2	0.024
15/1 छ	0.202	61/1 ख	2.023
15/1 ब	0.121	61/1 ग	0.871
15/1 ट	0.081	61/3	0.138
18/1	0.283	63/2	0.311
21/1	0.138	65	0.263

(1)	(2)	(1)	(2)
68/2	0.316	193/3	0.089
129	0.049	139	0.482
130	0.049	141/2 अ, 143/2 अ, 142/2 अ, 144/2 अ	0.275
155/1 ग	0.028		
155/1 घ	0.024	141/2 अ, 142/3 अ, 143/2 अ, 144/3	0.154
155/1 छ	0.214		
155/1 ज	0.040	147/2	0.138
156/1	0.450	148/12	0.202
157/1	0.065	151	1.036
160	0.020	165/8	0.202
165/5	1.250	165/9	0.162
178/2	0.202	145/2	0.154
193/2	0.259	148/4	0.089
73	0.405	148/6	0.081
83	0.081	148/7	0.061
99/1	0.121	148/29	0.567
100/1	0.138	148/8	0.567
103/1	0.437	163	0.040
104/1	0.563	148/17	0.405
105/1	0.117	148/15	0.243
131	0.117	148/16	0.101
134	0.040	148/14	0.263
165/1	0.902	148/18	0.223
177	0.049	148/21	0.344
197	0.101	148/30	0.405
165/3	0.405	148/22	0.283
165/4	0.202	148/25	0.243
166/1	0.085	148/26	0.081
174/2	0.081	148/33	0.073
175	0.132	155/1 च	0.348
176	0.024	156/2	0.202
178/1	0.081	161	0.295
167/1	0.364	168	0.057
172/1	2.837	169	0.069
174/1	0.040	165/2	0.020
193/1	0.595	165/6	0.142
194/1	0.032	166/2	0.028
135	0.581	168/3	0.709
193/4	0.053	170	0.040
164	0.445	172/3	0.101
138/3	0.121	180	0.413
148/27	0.121	196/4	0.032
138/4	0.486	196/7	0.012
162	0.040		
165/7	0.121		
171/1	0.324		

(1)	(2)
219/4	0.947
योग	71.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-तानाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-33.389 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
931	0.299
805/2	0.077
801	0.138
778/2	0.223
802/1	0.178
989/2	0.263
997	1.315
978/1 घ	0.607
979/6	0.121
805/1	0.077
982/2	0.097
984/2	0.162
985	0.222
986	0.101
987/1	0.138
987/2	0.296
990	0.364
991	0.057
992	0.158
777/1	0.178
802/2	0.178
799	0.093
850	0.053
717/1	0.437
733/2	0.281
731/2	0.097
734/4	0.142
808/3	0.064
995/1	0.121
997/10	2.023
980	0.081
737/1	0.267
786/1	0.640
804	0.117
844	0.016
846	0.405
840/3	0.138
851	0.121
859	0.259
930/2	0.064
996/1	0.077
791	0.283
784/1	0.154
732/1	0.219
733/1	0.232
735	0.036
738	0.174
808/2	0.064
737/3	0.081
840/2	0.121
808/4	0.064
733/4	0.718
434/5	0.041
838	0.101
856, 857	0.324
861	0.081
930/1	0.081
997/2	0.202

(1)	(2)
997/3	0.608
997/4	0.324
996/3	0.089
995/2	0.802
806/1	0.113
807	0.101
858/3	0.587
797	0.121
732/2	0.405
732/3	0.405
732/4	0.097
737/2	0.243
858/1	0.262
858/3	0.081
806/2	0.073
736	0.040
998/1 छ	0.405
779	0.547
997/5	0.425
996/2	0.081
995/5	0.283
778	0.255
978/1 छ	0.121
979/2	0.121
810	0.272
796/2	0.380
796/4	0.340
860/1	0.664
798	0.162
860/2	0.170
845	0.231
997/6	0.324
852	0.138
805/3	0.077
785/1	0.783
777/5	0.069
982/1	0.117
996/4	0.290
995/4	0.223
996/5	0.170
786/2	0.405
777/2	2.023
796/1	0.324
796/3	0.291
809	0.324
808/1	0.063
717/2	0.717
733/3	0.140
732/5	0.146
840/1	0.159
997/8	1.146
792	0.101
734/2	0.040
812/1	0.202
983	0.312
778/1	0.615
777/4	0.097
777/3	0.930
योग	33.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाडूला, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.228 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/2	0.064
120/2	0.088
122	0.032
144/1	0.032
123/1	0.004
124, 125, 126/1	0.040
124, 125, 126/2	0.057
112/1	0.044
138/1	0.060
137/2 ख	0.004
160/2	0.044
138/2	0.060
137/2 ग	0.016
144/2	0.072
137/1 क	0.004
137/1 ख	0.045
145/2	0.036
159/1	0.093
166/2	0.057
161/2	0.060
165/1	0.036
164/1 क	0.004
164/3	0.056
167/1	0.076
168/1 ख	0.036
168/3	0.056
168/4	0.028
166/125	0.024
योग 32	1.228

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीपा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भीमसेनडीह, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.689 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/2	0.024
38/2	0.044
40/2	0.012
173/4	0.012
39/1	0.028
39/2	0.040
39/3	0.008
39/4	0.004
39/9	0.016
42/1	0.040
42/2	0.024
173/5	0.016
43	0.068
85	0.084
86	0.182
54/1	0.171
90/1	0.020
54/2	0.008
56	0.012
55/1	0.089
64/1	0.036
84	0.076
65/3	0.247
67/3	0.045
68	0.238
172	0.048
69, 70/5	0.016
89	0.081
योग 29	1.689

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीपा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-सारंगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बेहराचुवा, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.294 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	82/2-84	0.036
	82/3-84	0.028
	82/4-84	0.069
	86/1	0.117
	83/2	0.044
योग	5	0.294

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अमलीडीपा जलाशय नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2008

क्रमांक/107/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील कोंटा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोंटा	जगरगुन्डा	1-सिलगेर	सिलगेर	सिलगेर
2.	—,,—	—,,—	—,,—	दुरनदरभा	—
3.	—,,—	—,,—	—,,—	बेदरे	—
4.	—,,—	—,,—	—,,—	पेन्टाचिमली	पेन्टाचिमली
5.	—,,—	—,,—	—,,—	टेकलगुड़ियम	—
6.	—,,—	—,,—	—,,—	पूवर्ती	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	कोंटा	जगरगुन्डा	1-सिलगेर	जोनागुड़ा	—
8.	—,,—	—,,—	—,,—	तुमालपाड	—
		योग	—	8	—
9.	—,,—	—,,—	2-गोन्दपल्ली	गोन्दपल्ली	गोन्दपल्ली
10.	—,,—	—,,—	—,,—	तिम्मापुरम	—
11.	—,,—	—,,—	—,,—	मण्डीमरका	—
12.	—,,—	—,,—	—,,—	कुन्देड़	कुन्देड़
13.	—,,—	—,,—	—,,—	भीमापुरम उर्फ मेसीगुड़ा	—
14.	—,,—	—,,—	—,,—	तोलेवर्ती	—
15.	—,,—	—,,—	—,,—	उरसंगल	—
		योग	—	7	—
16.	—,,—	—,,—	3-जगरगुण्डा	जगरगुण्डा	जगरगुण्डा
17.	—,,—	—,,—	—,,—	तारलागुडा	तारलागुडा
18.	—,,—	—,,—	—,,—	विक्रमपल्ली	—
19.	—,,—	—,,—	—,,—	बैनपल्ली	—
20.	—,,—	—,,—	—,,—	कोड़मेर	—
21.	—,,—	—,,—	—,,—	कन्हईगुड़ा	—
		योग	—	6	—
22.	—,,—	—,,—	4-गुमोड़ी	गुमोड़ी	गुमोड़ी
23.	—,,—	—,,—	—,,—	पोरोगुमोडी	—
24.	—,,—	—,,—	—,,—	बडेहिरमा	—
25.	—,,—	—,,—	—,,—	पोरोककाड़ी	—
26.	—,,—	—,,—	—,,—	दुरमा	—
27.	—,,—	—,,—	—,,—	कोण्डासावली	कोण्डासावली
28.	—,,—	—,,—	—,,—	पारलागट्टा	—
29.	—,,—	—,,—	—,,—	पोरोकोण्डा सांवली	—
		योग	—	8	—
30.	—,,—	—,,—	5-एलमपल्ली	एलमपल्ली उर्फ बेडमा	एलमपल्ली उर्फ बेडमा
31.	—,,—	—,,—	—,,—	चिलमीलावा	—
32.	—,,—	—,,—	—,,—	बंजेपल्ली	—
33.	—,,—	—,,—	—,,—	कामाराम	कामाराम
34.	—,,—	—,,—	—,,—	सिंगारम	—
35.	—,,—	—,,—	—,,—	राजपेन्टा	—
36.	—,,—	—,,—	—,,—	गोलागुड़ा	—
37.	—,,—	—,,—	—,,—	अचकट	—
		योग	—	8	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	कोंटा	जगरगुन्डा	6-चिन्तलनार	मिलमपल्ली	मिलपमल्ली
39.	—,,—	—,,—	—,,—	किस्टाराम	—
40.	—,,—	—,,—	—,,—	चिमली	—
41.	—,,—	—,,—	—,,—	रामाराम	—
42.	—,,—	—,,—	—,,—	चिंतलनार	चिंतलनार
43.	—,,—	—,,—	—,,—	नरसापुरम	—
		योग	—	6	—
44.	—,,—	—,,—	7-सुरपनगुड़ा	सुरपनगुड़ा	सुरपनगुड़ा
45.	—,,—	—,,—	—,,—	भीमापुरम उर्फ करकनगुड़ा	—
46.	—,,—	—,,—	—,,—	मोरपल्ली	मोरपल्ली
47.	—,,—	—,,—	—,,—	पेदाबोड़केल	—
48.	—,,—	—,,—	—,,—	चिन्नाबोड़केल	—
49.	—,,—	—,,—	—,,—	जब्बागट्टा	—
		योग	—	6	—
50.	—,,—	—,,—	8-बुरकापाल	बुरकापाल	बुरकापाल
51.	—,,—	—,,—	—,,—	ताड़मेटला	—
52.	—,,—	—,,—	—,,—	दुलेड़	दुलेड़
53.	—,,—	—,,—	—,,—	मिनपा	—
		योग	—	4	—
54.	—,,—	—,,—	9-मुकरम	मुकरम	मुकरम
55.	—,,—	—,,—	—,,—	तोंगपल्ली	—
56.	—,,—	—,,—	—,,—	कोत्तागुड़ा	—
57.	—,,—	—,,—	—,,—	लखापाल	—
58.	—,,—	—,,—	—,,—	चिन्तागुफा	चिन्तागुफा
59.	—,,—	—,,—	—,,—	तेमेलवाड़ा	—,,—
		योग	—	6	—
60.	—,,—	—,,—	10-कोर्रापाड़	कोर्रापाड़	कोर्रापाड़
61.	—,,—	—,,—	—,,—	गोडेलगुड़ा	—
62.	—,,—	—,,—	—,,—	रेंगरायगुड़ा	—
63.	—,,—	—,,—	—,,—	पालामड़गु	पालामड़गु
		योग	—	4	—
64.	—,,—	—,,—	11-कांकेरलंका	कांकेरलंका	कांकेरलंका
65.	—,,—	—,,—	—,,—	पुसवाड़ा	—
66.	—,,—	—,,—	—,,—	चिकपल्ली	—
		योग	—	3	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67.	कोंटा	जगरगुन्डा	12-नागाराम	नागाराम	नागाराम
68.	—,,—	—,,—	—,,—	कोत्तापल्ली	—
69.	—,,—	—,,—	—,,—	तिम्मापेन्टा	—
70.	—,,—	—,,—	—,,—	गट्टापाड़	—
71.	—,,—	—,,—	—,,—	केरलापेन्दा	केरलापेंदा
72.	—,,—	—,,—	—,,—	तोकनपल्ली	—
73.	—,,—	—,,—	—,,—	बड़े गानगुलावा	—
74.	—,,—	—,,—	—,,—	छोटे गानगुलावा	—
		योग		8	—
75.	—,,—	—,,—	13-बगड़ेगुड़ा	बगड़ेगुड़ा	बगड़ेगुड़ा
76.	—,,—	—,,—	—,,—	गोगुण्डा	—
77.	—,,—	—,,—	—,,—	मिचीगुडा	—
		योग	—	3	—
78.	—,,—	कोंटा	14-मिसमा	मिसमा	मिसमा
79.	—,,—	—,,—	—,,—	उपमपल्ली	—
80.	—,,—	—,,—	—,,—	पिन्नाभेजी	—
81.	—,,—	—,,—	—,,—	मुंडपल्ली	—
82.	—,,—	—,,—	—,,—	सामसट्टी	सामसट्टी
83.	—,,—	—,,—	—,,—	परिया	—
84.	—,,—	—,,—	—,,—	नीलावाया	—
85.	—,,—	—,,—	—,,—	बोड्रमपाड़	—
		योग	—	8	—
86.	—,,—	—,,—	15-दुब्बाटोटा	दुब्बाटोटा	दुब्बाटोटा
87.	—,,—	—,,—	—,,—	पेंदागुड़ा	—
88.	—,,—	—,,—	—,,—	नेलवाड़ा व. ग्रा.	—
89.	—,,—	—,,—	—,,—	नयापारा व. ग्रा.	—
90.	—,,—	—,,—	—,,—	कुम्हारपदर व. ग्रा.	—
91.	—,,—	—,,—	—,,—	राजपदर व. ग्रा.	—
92.	—,,—	—,,—	—,,—	पुनपल्ली	पुनपल्ली
93.	—,,—	—,,—	—,,—	गोंदपल्ली	—
		योग	—	8	—
94.	—,,—	—,,—	16-गोरगुण्डा	गोरगुण्डा	गोरगुण्डा
95.	—,,—	—,,—	—,,—	देवरपल्ली	—
96.	—,,—	—,,—	—,,—	पोलमपल्ली	पोलमपल्ली
97.	—,,—	—,,—	—,,—	बरदेलपाड़ उर्फ तोंगगुड़ा	—
		योग	—	4	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
98.	कोंटा	कोंटा	17-दोरनापाल	दोरनापाल	दोरनापाल
99.	—,,—	—,,—	—,,—	कामापेदागुड़ा	—
100.	—,,—	—,,—	—,,—	नागलगुण्डा	नागलगुड़ा
101.	—,,—	—,,—	—,,—	पेन्टा	पेन्टा
102.	—,,—	—,,—	—,,—	मेड़वाही उर्फ तोंगगुड़ा	मेड़वाही
103.	—,,—	—,,—	—,,—	अरलमपल्ली	—
		योग	—	6	—
104.	—,,—	—,,—	18-मनीकोन्टा	मनीकोन्टा	मनीकोन्टा
105.	—,,—	—,,—	—,,—	पेदाकुर्ती	—
106.	—,,—	—,,—	—,,—	आरगट्टा उर्फ बोड्डीगुड़ा	आरगट्टा
107.	—,,—	—,,—	—,,—	बिरला	—
		योग	—	4	—
108.	—,,—	—,,—	19-गगनपल्ली	गगनपल्ली	गगनपल्ली
109.	—,,—	—,,—	—,,—	टेटराई	टेटराई
110.	—,,—	—,,—	—,,—	मरईगुड़ा	मरईगुड़ा
		योग	—	3	—
111.	—,,—	—,,—	20-भेजी	भेजी	भेजी
112.	—,,—	—,,—	—,,—	रेगड़गट्टा	रेगड़गट्टा
113.	—,,—	—,,—	—,,—	चिन्तागुफा	—
114.	—,,—	—,,—	—,,—	गोरखा	—
115.	—,,—	—,,—	—,,—	कोलाईगुड़ा	डब्बाकोन्टा
		योग	—	5	—
116.	—,,—	—,,—	21-एर्राबोर	एर्राबोर	एर्राबोर
117.	—,,—	—,,—	—,,—	मुलाकिसोली	मुलाकिसोली
118.	—,,—	—,,—	—,,—	राजपेन्टा उर्फ दरभागुड़ा	दरभागुड़ा
119.	—,,—	—,,—	—,,—	लेण्ड्रा	—
		योग	—	4	—
120.	—,,—	—,,—	22-इंजरम	इंजरम	इंजरम
121.	—,,—	—,,—	—,,—	आसीरगुड़ा	—
122.	—,,—	—,,—	—,,—	इरपागुड़ा	—
123.	—,,—	—,,—	—,,—	पेदाकिसोली	—
124.	—,,—	—,,—	—,,—	बंजामगुड़ा	—
125.	—,,—	—,,—	—,,—	जगारम	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
126.	कोंटा	कोंटा	22-इंजरम	मेढागुड़ा	—
127.	—,,—	—,,—	—,,—	एटेगट्टा	—
128.	—,,—	—,,—	—,,—	कामराजपाड़	—
		योग	—	9	—
129.	—,,—	—,,—	23-बण्डा	बण्डा	बण्डा
130.	—,,—	—,,—	—,,—	कन्हईगुड़ा	—
131.	—,,—	—,,—	—,,—	कन्हईगुड़ा उर्फ नेलमेटा	—
132.	—,,—	—,,—	—,,—	नुल्कातोंग	—
133.	—,,—	—,,—	—,,—	बालेंगतोंग	मेहता
134.	—,,—	—,,—	—,,—	दुरमा	—
135.	—,,—	—,,—	—,,—	गोमपाड़	—
136.	—,,—	—,,—	—,,—	गंगराजपाड़	—
137.	—,,—	—,,—	—,,—	मेहता	—
138.	—,,—	—,,—	—,,—	पुसगुड़ा	—
139.	—,,—	—,,—	—,,—	पीलावाया व. ग्रा.	—
140.	—,,—	—,,—	—,,—	उसकावाया, व. ग्रा.	—
141.	—,,—	—,,—	—,,—	बेलपोचा, व. ग्रा.	
142.	—,,—	—,,—	—,,—	नीलामडगू	—
143.	—,,—	—,,—	—,,—	दुब्बामरका	—
		योग	—	15	—
144.	—,,—	—,,—	24-ढोढरा	ढोंडरा	ढोंडरा
145.	—,,—	—,,—	—,,—	सुन्नमगुड़ा	—
146.	—,,—	—,,—	—,,—	फन्दीगुड़ा	—
147.	—,,—	—,,—	—,,—	बोजरायगुड़ा	—
148.	—,,—	—,,—	—,,—	वेंकटापाड	—
		योग	—	5	—
149.	—,,—	—,,—	25-कोन्टा	कोन्टा	कोन्टा
150.	—,,—	—,,—	—,,—	वेंकटापुरम	—
151.	—,,—	—,,—	—,,—	चिंताकोंटा	—
152.	—,,—	—,,—	—,,—	मुरलीगुड़ा	—
153.	—,,—	—,,—	—,,—	मंगलगुड़ा	—
		योग	—	5	—
		महायोग	25	153	ग्राम पं.-50

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2008

क्रमांक/108/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील सुकमा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सुकमा	सुकमा	1-चिंगावरम	मारोकी	मारोकी
2.	—,,—	—,,—	—,,—	चिंगावरम	चिंगावरम
3.	—,,—	—,,—	—,,—	मुरंकी	—
		योग		**3**	—
4.	—,,—	—,,—	2-कोर्रा	कोर्रा	कोर्रा
		योग		**1**	
5.	—,,—	—,,—	3-सोनाकूकानार	सोनाकूकानार	सोनाकूकानार
6.	—,,—	—,,—	—,,—	डोडपाल	डोडपाल
7.	—,,—	—,,—	—,,—	तोंगरास	—
		योग		**3**	—
8.	—,,—	—,,—	4-गादीरास	गादीरास	गादीरास
9.	—,,—	—,,—	—,,—	नागारास	नागारास
10.	—,,—	—,,—	—,,—	डांडाबाड़ी	—
		योग		**3**	—
11.	—,,—	—,,—	5-कोण्डरे	कोण्डरे	कोण्डरे
12.	—,,—	—,,—	—,,—	बोड़को	बोड़को
13.	—,,—	—,,—	—,,—	पलिया	—
		योग		**3**	—
14.	—,,—	—,,—	6-मानकापाल	गुफड़ी	गुफड़ी
15.	—,,—	—,,—	—,,—	मानकापाल	मानकापाल
16.	—,,—	—,,—	—,,—	पोरदेम	पोरदेम
17.	—,,—	—,,—	—,,—	चिरमुर	—
18.	—,,—	—,,—	—,,—	नीलावाया	—
19.	—,,—	—,,—	—,,—	परिया	—
		योग		**6**	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	सुकमा	सुकमा	7-गोंदपल्ली	गोंदपल्ली	गोंदपल्ली
21.	—,,—	—,,—	—,,—	गोंडेरास	गोंडेरास
22.	—,,—	—,,—	—,,—	पुजारीपाल	—
		योग		3	—
23.	—,,—	—,,—	8-बड़ेसट्टी	बड़ेसट्टी	बड़ेसट्टी
		योग		1	—
24.	—,,—	—,,—	9-सिरसट्टी	पोंगाभेजी	पोंगाभेजी
25.	—,,—	—,,—	—,,—	सिरसट्टी	सिरसट्टी
		योग		2	—
26.	—,,—	—,,—	10-कोयाबेकुर	फूलबगड़ी	फुलबगड़ी
27.	—,,—	—,,—	—,,—	कोयाबेकुर	कोयाबेकुर
28.	—,,—	—,,—	—,,—	गोलाबेकर	—
		योग		3	—
29.	—,,—	—,,—	11-मुरतोंडा	मुरतोंडा	मुरतोंडा
30.	—,,—	—,,—	—,,—	नीलावरम	नीलावरम
31.	—,,—	—,,—	—,,—	चिचोरगुड़ा	—
32.	—,,—	—,,—	—,,—	कोननगुड़ा	—
		योग		4	—
33.	—,,—	—,,—	12-जीरमपाल	जीरमपाल	जीरमपाल
34.	—,,—	—,,—	—,,—	रामपुरम	रामपुरम
35.	—,,—	—,,—	—,,—	गीदम	—
		योग		3	—
36.	—,,—	—,,—	13-सुकमा	सुकमा	सुकमा नगर पंचायत
		योग		1	—
37.	—,,—	—,,—	14-बुड़दी	बुड़दी	बुड़दी
38.	—,,—	—,,—	—,,—	भेलवापाल	भेलवापाल
39.	—,,—	—,,—	—,,—	जोरूतोंग उर्फ कोकरपाल	जोरूतोंग उर्फ कोकरपाल
		योग		3	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.	सुकमा	सुकमा	15-झापरा	झापरा	झापरा
41.	—,,—	—,,—	—,,—	मुलागुड़ा	—
42.	—,,—	—,,—	—,,—	कोसाबंदर	—
43.	—,,—	—,,—	—,,—	पुसपल्ली	पुसपल्ली
44.	—,,—	—,,—	—,,—	मंगीपाल	—
45.	—,,—	—,,—	—,,—	कुडुकरास	—
		योग		**6**	—
46.	—,,—	—,,—	16-रामाराम	गोंगला	गोंगला
47.	—,,—	—,,—	—,,—	बोरगुड़ा	—
48.	—,,—	—,,—	—,,—	तेलावर्ती	—
49.	—,,—	—,,—	—,,—	रामाराम	रामाराम
50.	—,,—	—,,—	—,,—	नाड़ीगुफा उर्फ पातासुकमा	—
51.	—,,—	—,,—	—,,—	कुडकेल	—
		योग		**6**	—
52.	—,,—	—,,—	17-केरलापाल	केरलापाल	केरलापाल
53.	—,,—	—,,—	—,,—	चिकपाल	चिकपाल
		योग		**2**	—
		महायोग	**17**	**53**	**ग्राम पं.-32** **नगर पं.-01**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2008

क्रमांक/109/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा नवगठित तहसील छिन्दगढ़ के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं., का नाम	प. ह. नं. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	1-कुन्ना	कुन्ना	कुन्ना
2.	—,,—	—,,—	—,,—	धनीकोड़ता	—
		योग	—	**2**	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	2-डब्बा	डब्बा	डब्बा
4.	—,,—	—,,—	—,,—	पुसगुन्ना	पुसगुन्ना
		योग	—	2	—
5.	—,,—	—,,—	3-कुन्दनपाल	कुन्दनपाल	कुन्दनपाल
6.	—,,—	—,,—	—,,—	चुलेरास	—
7.	—,,—	—,,—	—,,—	डोलेरास	डोलेरास
8.	—,,—	—,,—	—,,—	फंदीवार	—
		योग	—	4	—
9.	—,,—	—,,—	4-मिचवार	गरीपाल	—
10.	—,,—	—,,—	—,,—	मिचवार	मिचवार
		योग	—	2	—
11.	—,,—	—,,—	5-गोरली	गोरली	गोरली
12.	—,,—	—,,—	—,,—	नयानार	—
		योग	—	2	—
13.	—,,—	—,,—	6-पेन्दलनार	मुण्डूम	पेन्दलनार
14.	—,,—	—,,—	—,,—	पेंदलनार	—
15.	—,,—	—,,—	—,,—	इत्तागुफा	—
16.	—,,—	—,,—	—,,—	ईरपा	—
17.	—,,—	—,,—	—,,—	महिमा	—
18.	—,,—	—,,—	—,,—	केरातोंग	केरातोंग
19.	—,,—	—,,—	—,,—	मुठेली	—
20.	—,,—	—,,—	—,,—	रासावाया	—
		योग	—	8	—
21.	—,,—	—,,—	7-पोन्दुम	अतकारीरास	अतकारीरास
22.	—,,—	—,,—	—,,—	चौपेल	—
23.	—,,—	—,,—	—,,—	पोन्दुम	पोन्दुम
24.	—,,—	—,,—	—,,—	भंडाररास	—
		योग	—	4	—
25.	—,,—	—,,—	8-बिरसठपाल	बिरसठपाल	बिरसठपाल
26.	—,,—	—,,—	—,,—	रतिनाईकरास	—
27.	—,,—	—,,—	—,,—	हिकमीरास	—
28.	—,,—	—,,—	—,,—	कांजीपानी	कांजीपानी
29.	—,,—	—,,—	—,,—	मुर्रेपाल	मुर्रेपाल
		योग	—	5	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	9-पाकेला	चिपुरपाल	चिपुरपाल
31.	—,,—	—,,—	—,,—	चिकारास	—
32.	—,,—	—,,—	—,,—	पाकेला	पाकेला
33.	—,,—	—,,—	—,,—	राजामुण्डा (व. ग्रा.)	—
34.	—,,—	—,,—	—,,—	उदलातरई (व. ग्रा.)	—
		योग	—	5	—
35.	—,,—	—,,—	10-रोकेल	बकुलाघाट	—
36.	—,,—	—,,—	—,,—	रेड्डीपाल	—
37.	—,,—	—,,—	—,,—	अन्दुमपाल	—
38.	—,,—	—,,—	—,,—	रोकेल	रोकेल
		योग	—	4	—
39.	—,,—	—,,—	11-छिंदगढ़	छिंदगढ़	छिंदगढ़
40.	—,,—	—,,—	—,,—	पुजारीपाल	—
41.	—,,—	—,,—	—,,—	धोबनपाल	धोबनपाल
42.	—,,—	—,,—	—,,—	गुडरा	गुडरा
		योग	—	4	—
43.	—,,—	—,,—	12-उरमापाल	उरमापाल	उरमापाल
44.	—,,—	—,,—	—,,—	पतिनाईकरास	पतिनाईकरास
45.	—,,—	—,,—	—,,—	छुरागट्टा	—
		योग	—	3	—
46.	—,,—	—,,—	13-पालेम	कावराकोपा	कावराकोपा
47.	—,,—	—,,—	—,,—	पालेम	पालेम
48.	—,,—	—,,—	—,,—	सगुनघाट	—
49.	—,,—	—,,—	—,,—	साडरापाल	—
		योग	—	4	—
50.	—,,—	—,,—	14-हमीरगढ़	हमीरगढ़	हमीरगढ़
51.	—,,—	—,,—	—,,—	जैमेर	—
52.	—,,—	—,,—	—,,—	पेरमारास	पेरमारास
53.	—,,—	—,,—	—,,—	मारेंगा	मारेंगा
54.	—,,—	—,,—	—,,—	लिटीरास	—
		योग	—	5	—
55.	—,,—	—,,—	15-तोंगपाल	तोंगपाल	तोंगपाल
56.	—,,—	—,,—	—,,—	लेंदा	लेंदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	छिन्दगढ़	छिन्दगढ़	15-तोंगपाल	कोकालपाल	—
58.	—,,—	—,,—	—,,—	चिड़पाल	चिड़पाल
		योग	—	4	—
59.	—,,—	—,,—	16-चितलनार	मुण्डवाल	—
60.	—,,—	—,,—	—,,—	बाढ़नपाल	—
61.	—,,—	—,,—	—,,—	कुमाकोलेंग	कुमाकोलेंग
62.	—,,—	—,,—	—,,—	चितलनार	चितलनार
63.	—,,—	—,,—	—,,—	चिऊरवाड़ा	चिरूरवाड़ा
		योग	—	5	—
64.	—,,—	—,,—	17-पुसपाल	पुसपाल	पुसपाल
65.	—,,—	—,,—	—,,—	किन्दरवाड़ा	किन्दरवाड़ा
66.	—,,—	—,,—	—,,—	सुर्रेपाल	—
67.	—,,—	—,,—	—,,—	मोखावाया उर्फ भोपावाड़ा	मोखावाया उर्फ भोपावाड़ा
		योग	—	4	—
68.	—,,—	—,,—	18-किकिरपाल	जंगमपाल	—
69.	—,,—	—,,—	—,,—	ओलेर	ओलेर
70.	—,,—	—,,—	—,,—	किकिरपाल	किकिरपाल
71.	—,,—	—,,—	—,,—	तुमकपाल	—
72.	—,,—	—,,—	—,,—	नेतानार	नेतानार
		योग	—	5	—
73.	—,,—	—,,—	19-तालनार	गुम्मा	गुम्मा
74.	—,,—	—,,—	—,,—	तालनार	तालनार
75.	—,,—	—,,—	—,,—	सीतापाल	—
		योग	—	3	—
76.	—,,—	—,,—	20-गंजेनार	कोडरीपाल	कोडरीपाल
77.	—,,—	—,,—	—,,—	कवासीरास	—
78.	—,,—	—,,—	—,,—	गंजेनार	गंजेनार
		योग	—	3	—
		महायोग	20	78	**ग्राम. पं.-43**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2008

क्रमांक/110/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा नवगठित तहसील कटेकल्याण के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	पटवारी हल्का में सम्मिलित ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कटेकल्याण	कुआकोण्डा	1-धनीकरका	दुवालीकरका	धनीकरका
2.	—,,—	—,,—	—,,—	धनीकरका	—,,—
3.	—,,—	—,,—	—,,—	नड़ियापदर	—,,—
4.	—,,—	—,,—	—,,—	बुड़दीकरका	—,,—
5.	—,,—	—,,—	—,,—	सूरनार	सूरनार
		योग	—	**5**	—
6.	—,,—	—,,—	2-बड़ेलखापाल	बड़ेलखापाल	बड़ेलखापाल
7.	—,,—	—,,—	—,,—	नयानार	—,,—
8.	—,,—	—,,—	—,,—	कोडरीपाल	—,,—
		योग	—	**3**	—
9.	—,,—	—,,—	3-कटेकल्याण	कटेकल्याण	कटेकल्याण
10.	—,,—	—,,—	—,,—	मथाड़ी	—,,—
11.	—,,—	—,,—	—,,—	लखारास	—,,—
12.	—,,—	—,,—	—,,—	गाटम	गाटम
13.	—,,—	—,,—	—,,—	बेंगलूर	बेंगलूर
		योग	—	**5**	—
14.	—,,—	—,,—	4-परचेली	चिकपाल	चिकपाल
15.	—,,—	—,,—	—,,—	नड़ेनार	—
16.	—,,—	—,,—	—,,—	परचेली	परचेली
17.	—,,—	—,,—	—,,—	मारजूम	मारजुम
18.	—,,—	—,,—	—,,—	मुनगा	—
		योग	—	**5**	—
19.	—,,—	—,,—	5-जंगमपाल	छोटेगादम	—
20.	—,,—	—,,—	—,,—	छोटे लखापाल	—
21.	—,,—	—,,—	—,,—	जंगमपाल	जंगमपाल
22.	—,,—	—,,—	—,,—	तोंगपाल	—
23.	—,,—	—,,—	—,,—	प्रतापगिरी	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	क़टेकल्याण	कुआकोण्डा	5-जंगमपाल	बड़े गादम	बड़े गादम
		योग	—	6	—
25.	—,,—	—,,—	6-गुड़से	गुड़से	गुड़से
26.	—,,—	—,,—	—,,—	तुमकपाल	तुमकपाल
		योग	—	2	—
27.	—,,—	—,,—	7-टेटम	ऐटेपाल	—
28.	—,,—	—,,—	—,,—	जिहाकोड़ता	—
29.	—,,—	—,,—	—,,—	टेटम	टेटम
30.	—,,—	—,,—	—,,—	तेलम	तेलम
		योग	—	4	—
31.	—,,—	—,,—	8-बड़े गुड़रा	बड़े गुड़रा	बड़े गुड़रा
32.	—,,—	—,,—	—,,—	छोटे गुड़रा	छोटे गुड़रा
		योग	—	2	—
33.	—,,—	—,,—	9-मोखपाल	मोखपाल	मोखपाल
34.	—,,—	—,,—	—,,—	माहरा करका	महारा करका
		योग	—	2	—
35.	—,,—	—,,—	10-बड़े बेड़मा	किडरीरास	—
36.	—,,—	—,,—	—,,—	कोरीरास	कोरीरास
37.	—,,—	—,,—	—,,—	छोटेबेड़मा	—
38.	—,,—	—,,—	—,,—	छोटेहड़मामुंडा	—
39.	—,,—	—,,—	—,,—	बड़े बेड़मा	बड़े बेड़मा
		योग	—	5	—
40.	—,,—	—,,—	11-भूसारास	भूसारास	भूसारास
41.	—,,—	—,,—	—,,—	एड़पाल	एड़पाल
42.	—,,—	—,,—	—,,—	डोडपाल	—
43.	—,,—	—,,—	—,,—	दुधीरास	—
		योग	—	4	—
		महायोग	11	43	**ग्राम पं.-23**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2008

क्रमांक/111/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा नवगठित तहसील कुआकोंडा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	1-गढ़मिरी	गढ़मिरी	गढ़मिरी
2.	—,,—	—,,—	—,,—	रेंगानार	—
		योग	—	2	—
3.	—,,—	—,,—	2-कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा
4.	—,,—	—,,—	—,,—	नकुलनार	नकुलनार
5.	—,,—	—,,—	—,,—	हल्बारास	—
		योग	—	3	—
6.	—,,—	—,,—	3-मैलावाड़ा	गोंगपाल	गोंगपाल
7.	—,,—	—,,—	—,,—	बड़े हड़मा मुंडा	—
8.	—,,—	—,,—	—,,—	मैलावाड़ा	मैलावाड़ा
9.	—,,—	—,,—	—,,—	हितावर	हितावर
		योग	—	4	—
10.	—,,—	—,,—	4-सामगिरी	खुटेपाल	—
11.	—,,—	—,,—	—,,—	जिमेर	—
12.	—,,—	—,,—	—,,—	दोरीरास	—
13.	—,,—	—,,—	—,,—	सामगिरी	सामगिरी
		योग	—	4	—
14.	—,,—	—,,—	5-टिकनपाल	टिकनपाल	टिकनपाल
15.	—,,—	—,,—	—,,—	लेंड्रा	—
16.	—,,—	—,,—	—,,—	माहरा हाउरनार	माहरा हाउरनार
		योग	—	3	—
17.	—,,—	—,,—	6-किरन्दुल	कडमपाल	कडमपाल
18.	—,,—	—,,—	—,,—	किरन्दुल	न. पा. किरन्दुल
19.	—,,—	—,,—	—,,—	कोडेनार	—
20.	—,,—	—,,—	—,,—	चोलनार	चोलनार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	6-किरन्दुल	मदाडी	—
		योग	—	5	—
22.	—,,—	—,,—	7-समलवार	कलेपाल	कलेपाल
23.	—,,—	—,,—	—,,—	पीरनार	—
24.	—,,—	—,,—	—,,—	पेरपा	—
25.	—,,—	—,,—	—,,—	मडकामीरास	—
26.	—,,—	—,,—	—,,—	समलवार	समलवार
		योग	—	5	—
27.	—,,—	—,,—	8-हिरोली	पुरंगेल	—
28.	—,,—	—,,—	—,,—	लावा	—
29.	—,,—	—,,—	—,,—	हिरोली	हिरोली
30.	—,,—	—,,—	—,,—	बेंगपाल	—
31.	—,,—	—,,—	—,,—	बोडेपल्ली	—
		योग	—	5	—
32.	—,,—	—,,—	9-गुमियापाल	अलनार	—
33.	—,,—	—,,—	—,,—	कुटरेम	कुटरेम
34.	—,,—	—,,—	—,,—	गुमियापाल	गुमियापाल
35.	—,,—	—,,—	—,,—	तनेली	—
36.	—,,—	—,,—	—,,—	पेड़का	—
		योग	—	5	—
37.	—,,—	—,,—	10-समेली	समेली	समेली
38.	—,,—	—,,—	—,,—	माडेन्दा	—
		योग	—	2	—
39.	—,,—	—,,—	11-पालनार	पालनार	पालनार
40.	—,,—	—,,—	—,,—	पेन्टा	—
41.	—,,—	—,,—	—,,—	फुलपाड़	फुलपाड़
		योग	—	3	—
42.	—,,—	—,,—	12-अरबे	अरवे	जबेली
43.	—,,—	—,,—	—,,—	जबेली	—
44.	—,,—	—,,—	—,,—	नीलावाया	नीलावाया
45.	—,,—	—,,—	—,,—	बर्रेम	—
		योग	—	4	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	13-बुरगुम	पुजारीपाल	—
47.	—,,—	—,,—	—,,—	बुरगुम	बुरगुम
48.	—,,—	—,,—	—,,—	रेवाली	रेवाली
		योग	—	3	—
49.	—,,—	—,,—	14-पोटाली	पोटाली	पोटाली
		योग	—	1	—
50.	—,,—	—,,—	15-अरनपुर	अरनपुर	अरनपुर
51.	—,,—	—,,—	—,,—	अचेली	—
52.	—,,—	—,,—	—,,—	मेडपाल	—
		योग	—	3	—
53.	—,,—	—,,—	16-ककाड़ी	ककाड़ी	—
54.	—,,—	—,,—	—,,—	नहाड़ी	नहाड़ी
55.	—,,—	—,,—	—,,—	मुलेर	—
		योग	—	3	—
		महायोग	**16**	**55**	**ग्रा. पं. - 26** **नगर पं. - 01**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2008

क्रमांक/112/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा नवगठित तहसील गीदम के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	पटवारी हल्के में सम्मिलित ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गीदम	दन्तेवाड़ा	1-कऊगांव	तुमीरगुण्डा	तुमीरगुण्डा
2.	—,,—	—,,—	—,,—	चेरपाल	—
3.	—,,—	—,,—	—,,—	पदमेटा	—
4.	—,,—	—,,—	—,,—	कऊरगांव	कऊरगांव
		योग	—	4	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	गीदम	दन्तेवाड़ा	2-कोरलापाल	पाहुरनार	पाहुरनार
6.	—,,—	—,,—	—,,—	छोटेकरका	—
7.	—,,—	—,,—	—,,—	बड़ेकरका	—
8.	—,,—	—,,—	—,,—	मुचनार	मुचनार
9.	—,,—	—,,—	—,,—	कोरलापाल	—
		योग	—	5	—
10.	—,,—	—,,—	3-छिन्दनार	छिन्दनार	छिन्दनार
11.	—,,—	—,,—	—,,—	मुस्तलनार	मुस्तलनार
12.	—,,—	—,,—	—,,—	सालनार	—
13.	—,,—	—,,—	—,,—	तारलापाल	—
		योग	—	4	—
14.	—,,—	—,,—	4-मोफलनार	गुमलनार	गुमलनार
15.	—,,—	—,,—	—,,—	नेलगोड़ा	—
16.	—,,—	—,,—	—,,—	मोफलनार	मोफलनार
17.	—,,—	—,,—	—,,—	गुटोली	—
		योग	—	4	—
18.	—,,—	—,,—	5-बड़ेतुमनार	छोटेतुमनार	छोटेतुमनार
19.	—,,—	—,,—	—,,—	कांदाकरका	—
20.	—,,—	—,,—	—,,—	बड़ेतुमनार	बड़ेतुमनार
		योग	—	3	—
21.	—,,—	—,,—	6-बांगपाल	फरसपाल उर्फ बोदली	फरसपाल उर्फ बोदली
22.	—,,—	—,,—	—,,—	फुन्डरी	—
23.	—,,—	—,,—	—,,—	फरसमन्दुर	—
24.	—,,—	—,,—	—,,—	बांगापाल	बांगापाल
25.	—,,—	—,,—	—,,—	मुहण्डेर	—
		योग	—	5	—
26.	—,,—	—,,—	7-फरसपाल	आलनार	आलनार
27.	—,,—	—,,—	—,,—	मासोडी	—
28.	—,,—	—,,—	—,,—	कुण्डेनार	—
29.	—,,—	—,,—	—,,—	फरसपाल	फरसपाल
		योग	—	4	—
30.	—,,—	—,,—	8-बिंजाम	बिंजाम	बिंजाम
31.	—,,—	—,,—	—,,—	कुतुलनार	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	गीदम	दन्तेवाड़ा	8-बिंजाम	झोड़ियाबाड़म	—
33.	—,,—	—,,—	—,,—	सियानार	बडेसुरोखी
34.	—,,—	—,,—	—,,—	समलूर	—
35.	—,,—	—,,—	—,,—	बडेसुरोखी	समलूर
		योग	—	6	—
36.	—,,—	—,,—	9-कारली	कारली	कारली
37.	—,,—	—,,—	—,,—	हारम	हारम
		योग	—	2	—
38.	—,,—	—,,—	10-कासोली	हीरानार	हीरानार
39.	—,,—	—,,—	—,,—	कासोली	कासोली
40.	—,,—	—,,—	—,,—	बुदपदर	—
41.	—,,—	—,,—	—,,—	जपोडी	—
		योग	—	4	—
42.	—,,—	—,,—	11-घोटपाल	रोंजे	रोंजे
43.	—,,—	—,,—	—,,—	जोड़ातराई	—
44.	—,,—	—,,—	—,,—	घोटपाल	घोटपाल
		योग	—	3	—
45.	—,,—	—,,—	12-उपेट	हिड़पाल	हिड़पाल
46.	—,,—	—,,—	—,,—	कोरकोटी	अभि. विहिन
47.	—,,—	—,,—	—,,—	नोरली	—
48.	—,,—	—,,—	—,,—	उपेट	उपेट
49.	—,,—	—,,—	—,,—	नागफनी	—
50.	—,,—	—,,—	—,,—	पुरनतराई	—
		योग	—	6	—
51.	—,,—	—,,—	13-बारसूर	बारसूर	बारसूर
		योग	—	1	—
52.	—,,—	—,,—	14-हितामेटा	भटपाल	भटपाल
53.	—,,—	—,,—	—,,—	उदेनार	—
54.	—,,—	—,,—	—,,—	नेऊरनार	—
55.	—,,—	—,,—	—,,—	हितामेटा	हितामेटा
56.	—,,—	—,,—	—,,—	रेका	—
		योग	—	5	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	गीदम	दन्तेवाड़ा	15-नागुल	नागुल	नागुल
58.	—,,—	—,,—	—,,—	हारला	—
59.	—,,—	—,,—	—,,—	हिरोली	—
60.	—,,—	—,,—	—,,—	कटुलनार	कटूलनार
61.	—,,—	—,,—	—,,—	माड़पाल	—
		योग	—	**5**	—
62.	—,,—	—,,—	16-बड़ेपनेड़ा	बड़ेपनेड़ा	बड़ेपनेड़ा
63.	—,,—	—,,—	—,,—	मड़से	मड़से
		योग	—	**2**	—
64.	—,,—	—,,—	17-गीदम	गीदम	न. पं. गीदम
65.	—,,—	—,,—	—,,—	हाउरनार	हाउरनार
		योग	—	**2**	—
66.	—,,—	—,,—	18-गुमड़ा	गुमड़ा	गुमड़ा
67.	—,,—	—,,—	—,,—	जांवगा	जांवगा
		योग	—	**2**	—
		महायोग	**18**	**67**	**ग्रा. पं.-35** **नगर पं.-01**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2008

क्रमांक/113/भू. अ./स. अ. भू. अ.-1/हल्का पुनर्गठन/08.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एस. पी. शोरी, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील दन्तेवाड़ा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं.

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा. नि. मं. का नाम	प. ह. नं. व पटवारी मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	1-पुरनतरई	केशापुर	केशापुर
2.	—,,—	—,,—	—,,—	मिडकुरनार	—
3.	—,,—	—,,—	—,,—	कवंलनार	—
4.	—,,—	—,,—	—,,—	भोगाम	भोगाम
5.	—,,—	—,,—	—,,—	पुरनतराई	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	1-पुरनतरई	रेवनार	—
		योग	—	**6**	—
7.	—,,—	—,,—	2-तुड़पारास	तुड़पारास	तुड़पारास
8.	—,,—	—,,—	—,,—	डेंगलरास	—
9.	—,,—	—,,—	—,,—	मंगनार	मंगनार
10.	—,,—	—,,—	—,,—	कुपेर	—
		योग	—	**4**	—
11.	—,,—	—,,—	3-अ- दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	न. पं. दन्तेवाड़ा
12.	—,,—	—,,—	—,,—	कतियाररास	—
13.	—,,—	—,,—	—,,—	आवरांभाटा	—
14.	—,,—	—,,—	—,,—	पातररास	—
		योग	—	**4**	—
15.	—,,—	—,,—	3-ब दन्तेवाड़ा	चितालंका	चितालंका
		योग	—	**1**	—
16.	—,,—	—,,—	4-भैरमबंद	बालपेट	बालपेट
17.	—,,—	—,,—	—,,—	भैरमबंद	—
18.	—,,—	—,,—	—,,—	टेकनार	टेकनार
		योग	—	**3**	—
19.	—,,—	—,,—	5-पोन्दुम	पोन्दुम	पोन्दुम
20.	—,,—	—,,—	—,,—	फुलनार	फुलनार
21.	—,,—	—,,—	—,,—	मुस्केल	—
		योग	—	**3**	—
22.	—,,—	—,,—	6-मेंडोली	जारम	जारम
23.	—,,—	—,,—	—,,—	मेंडोली	—
24.	—,,—	—,,—	—,,—	कावडगांव	कावडगांव
25.	—,,—	—,,—	—,,—	डूमाम	—
26.	—,,—	—,,—	—,,—	दाबपाल	—
		योग	—	**5**	—
27.	—,,—	—,,—	7-मेटापाल	मेटापाल	मेटापाल
		योग	—	**1**	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	8-गदापाल	तोयलंका	तोयलंका
29.	—,,—	—,,—	—,,—	गदापाल	गदापाल
		योग	—	2	—
30.	—,,—	—,,—	9-बड़ेगोडरे	चन्देनार	चन्देनार
31.	—,,—	—,,—	—,,—	नेटापुर	नेटापुर
32.	—,,—	—,,—	—,,—	बड़े गोड़रे	—
33.	—,,—	—,,—	—,,—	छोटे गोड़रे	—
		योग	—	4	—
34.	—,,—	—,,—	10-बालूद	बालूद	बालूद
35.	—,,—	—,,—	—,,—	चिंतालूर	—
36.	—,,—	—,,—	—,,—	मटेनार	मटेनार
37.	—,,—	—,,—	—,,—	मुरकी	—
		योग	—	4	—
38.	—,,—	—,,—	11-कुम्हाररास	कुम्हाररास	कुम्हाररास
39.	—,,—	—,,—	—,,—	करंजेनार	—
40.	—,,—	—,,—	—,,—	मसेनार	[illegible]
		योग	—	3	—
41.	—,,—	—,,—	12-कमालूर	पेण्डेवार	पण्डेवार
42.	—,,—	—,,—	—,,—	गोन्दपाल	—
43.	—,,—	—,,—	—,,—	झिरका	—
44.	—,,—	—,,—	—,,—	कामालूर	कामालूर
45.	—,,—	—,,—	—,,—	कुन्देली	—
46.	—,,—	—,,—	—,,—	बासनपुर	—
		योग	—	6	—
47.	—,,—	—,,—	13-गमावाड़ा	गमावाड़ा	गमावाड़ा
48.	—,,—	—,,—	—,,—	धुरली	धुरली
		योग	—	2	—
49.	—,,—	—,,—	14-भांसी	भांसी	भांसी
50.	—,,—	—,,—	—,,—	पोरोकमेली	—
51.	—,,—	—,,—	—,,—	झारालावा	—
52.	—,,—	—,,—	—,,—	बड़े कमेली	बड़े कमेली
		योग	—	4	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
53.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	15-बड़े बचेली	बड़े बचेली	नं. पा. बड़े बचेली
		योग	—	1	—
54.	—,,—	—,,—	16-पीनाबचेली	पाढापुर	पाढापुर
55.	—,,—	—,,—	—,,—	बेनपाल	—
56.	—,,—	—,,—	—,,—	पीनाबचेली	—
57.	—,,—	—,,—	—,,—	नेरली	नेरली
58.	—,,—	—,,—	—,,—	बेहनार	—
		योग	—	5	—
59.	—,,—	—,,—	17-मोलसनार	मोलसनार	मोलसनार
60.	—,,—	—,,—	—,,—	उदेला	—
61.	—,,—	—,,—	—,,—	कुहचेपाल	—
		योग	—	3	—
62.	—,,—	—,,—	18-गंजेनार	गंजेनार	गंजेनार
		योग	—	1	—
63.	—,,—	—,,—	19-दुगेली	दुगेली	दुगेली
64.	—,,—	—,,—	—,,—	चोलनार उर्फ शिवनापदर	—
		योग	—	2	—
		महायोग	20	64	**ग्रा. पं.-31** **नगर पं.-01** **नगर पा.-01**

एस. पी. शोरी,
कलेक्टर.